(86)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 996–तीन/2009 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 6–7–09 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 658/2006–07 अपील

1– विधाता पुत्र बोइराम कुशवाह

2– बुद्धी पुत्र जागेश्वरप्रसाद कुशवाह

3– रामवालक 4– रमेश 5– सुरेश

पुत्रगण रामावतार कुशवाह

6– वृन्दा 7– छोटा पुत्रगण मंगल कुशवाहा

8– रामविश्वास 9– रामनिवास पुत्रगण अनंतराम कुशवाह

10– कामता पुत्र खेदू कुशवाह 11– रामबहोर पुत्र तीरथप्रसाद

12– तिलकधारीप्रसाद 13– सिद्धमुनि 14– नीलकण्ड

पुत्रगण अनुसूईया प्रसाद ब्राहमण

15– कमलेश्वर प्रसाद पुत्र कल्लूराम ब्राहमण

16– काशीप्रसाद 17– रामनिहोर पुत्रगण अनुसूइयाप्रसाद ब्राहमण

सभी ग्राम पिपरा थाना सेमरिया जिला रीवा ----आवेदकगण

विरूद्ध

1– गंगाप्रसाद 2– भैयालाल 3– रामफल

पुत्रगण पराग कुशवाह

4– बुद्धसेन पुत्र रामप्रताप कुशवाह

5– जगदीशप्रसाद 6– रामरूप पुत्रगण विशेश्वरप्रसाद कुशवाह

7– रामस्वरूप 8– रामनिहार 9– रामजी

पुत्रगण रामसजीवन कुशवाह

10– लालजी पुत्र चुनवादी कुशवाह

11- चन्द्रशेखर 12- सुग्रीव 13- अच्छेलाल 14- सूर्यदीन
पुत्रगण बिदुर प्रसाद कुशवाह
15- रामाधार पुत्र बोडेराम कुशवाह
16- सोखीलाल 17- जवाहर पुत्रगण रामेश्वर कुशवाह
सभी ग्राम पिपरा थाना सेमरिया जिला रीवा ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री हरिप्रकाश द्विवेदी)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 14-09-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 658/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-7-2009 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक क्रमांक 1 ने अति.तहसीलदार टप्पा सेमरिया को म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178/110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम पिपरा की भूमि सर्वे क्रमांक 308 रकबा 1.98 ए. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) के बटवारे की मांग की। तहसीलदार ने पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 24-8-2000 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि का बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपील प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने वावत् आवेदन प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 30-11-06 पारित किया तथा लगातार तीन वर्ष तक वारिसान के नाम नहीं बतलाना और न आवेदन देना मानकर अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 658/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-7-2009 से

अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर का आदेश निरस्त कर दिया तथा प्रकरण गुणदोष के आधार पर निर्णय करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने एक पक्षकार की मृत्यु पर अपील प्रकरण Abate होने से अपील निरस्त की है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 658/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-7-2009 में विवेचित किया है कि अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किसी एक पक्षकार के मृत होने पर (यदि अन्य पक्षकार मौजूद हों तो) अपील निरस्त नहीं होगी बल्कि मृतक पक्षकार के विरूद्ध अपील उपसमन होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूरी अपील ही निरस्त कर दी है जो विधि एंव प्रक्रिया के तहत किया गया आदेश नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के आदेश दिनांक 30-11-06 एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 6-7-2009 का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा आदेश दिनांक 6-7-09 में निकाला गया निष्कर्ष सही है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 658/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-7-2009 उचित होने से यथावत् रखा जाता है एंव निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर